

Status Report in M.A No. 68/2023 In O.A No. 386 of 2022 Ajay Tiwari Vs State of UP & Ors. 47

In the aforesaid matter, grievance made by Sh. Ajay Tiwari, B-Sarita Dham Nagla Akhye Road (Bodla-Bichpuri road), Thana- Shahganj, Agra that in front of M/s Om Shoe Factory more than one dozen colonies are situated which are approved by Agra Development Authority, these colonies are residential and people are living in the colonies. There are more than 50 illegal marble units being operated which used to makes fancy marble items. During cutting grinding of marble stone too much pollution is spreading due to which children are getting ill and the residents are very upset, people are being forced to migrate due to severe pollution.

Hon'ble National Green Tribunal was pleased to pass the direction on dated 06.07.2022 in the above O.A no.386/2022 Ajay Tiwari Vs State of UP. The relevant part of the order is as below: -

"In view of the serious averments made in the application, we are of the view that the factual position needs to be verified and remedial action is required to be taken on the basis thereof by the concerned Statutory 2 Authorities. We accordingly constitute Joint Committee of CPCB, State PCB, and District Magistrate, Agra and direct the same to verify the factual position, look into the grievances of the applicant and take remedial action in accordance with law by following due process within one month from the date of receipt of a copy of this order. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance."

As per the directions of Hon'ble National Green Tribunal Joint Committee was formed, inspection was done of the said area and joint report has been filed on judicial-ngt@gov.in. on dt.07.12.2022 through E-mail.

Hon'ble National Green Tribunal heard the matter on dt.28.08.2023 and was pleased to pass the directions. The relevant part of the order is as below

"6. Notices be issued to Agra Development Authority, UPPCB and District Magistrate, Agra requiring them to file Status Report within two months, at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF, along with the list of the concerned units involved in alleged industrial activities of making fancy items from Marble so that opportunity of being heard may

9

also be granted to the concerned units by this Tribunal, if so considered necessary before passing further order in this regard.

M.A No. 68/2023 Ajay Tiwari Vs. State of U.P & Ors. In O.A No. 386/2022

7. List for further consideration on 03.11.2023.

8. A copy of this order along with a copy of the report be forwarded to the Agra Development Authority, UPPCB and District Magistrate, Agra by e-mail for compliance."

In the compliance of the above directions Chief Town Planner, Agra Development Authority, Agra and ADM(E) was nominated on the behalf of Agra Development Authority and District Magistrate, Agra to file present status report. **(Annexure-1)**

Joint inspection of the said area was done on dt. 13.10.2023 by the officers of Agra Development Authority, DakshinanchalVidyut Vitran Nigam Limited (DVVNL) and U.P Pollution Control Board. During the inspection 07 units are not being operated and found permanently closed. **(Annexure-2)** The name of the units are as below:-

- 1. M/s R.S Design, Gunjan Vihar, Bodla-Bichpuri Road, Agra
- 2. M/s The Ferry International, Neelam Enclave, Nagla Akhey, Bodla-Bichpuri Road, Agra
- 3. M/s Vikas Stone, Neelam Enclave, Nagla Akhey, Bodla-Bichpuri Road, Agra
- 4. M/s Krishna Kumar Beghal Stone Unit, Nagla Akhey, Bodla-Bichpuri Road, Agra
- 5. M/s Rajeev Sharma Stone Unit (Earlier operated by Vipnesh Tyagi, Nagla Akhey, Bodla-Bichpuri Road, Agra
- 6. M/s Nobal Export India, Nagla Akhey, Bodla-Bichpuri Road, Agra
- 7. M/s Rudra Handicraft, Gunjan Vihar, Nagla Akhey, Bodla-Bichpuri Road, Agra

During the inspection it was informed that Four units are operational namely

- 1. M/s Pawan Chowdhary Stone, Gunjan Vihar, Nagla Akhey, Bodla-Bichpuri Road, Agra
- 2. M/s Geetam Singh Stone Cutting, Nagla Akhey, Bodla-Bichpuri Road, Agra
- 3. M/s Satendra (Earlier operated by Dharmveer), Nagla Akhey, Bodla-Bichpuri Road, Agra

4. M/s Satyaveer Stone, Nagla Akhey, Bodla-Bichpuri Road, Agra

49

Letter was written to the Chief Engineer, DVVNL, Agra to take action against the illegal unit operational in the non-conforming zone vide letter dated 17.10.2023. (Annexure-3) Sub-Divisional Officer vide its letter dt.26.10.2023 informed to Executive Engineer, Power Distribution Section-II regarding electricity disconnection and other actions taken on the above Four units.(Annexure-4)

Suggestions-

- As per the Chairman, U.P Power Corporation Limited, Lucknow letter dt. 02.11.2020 (Annexure-5), electricity connection should be provided to any industry/unit having No Objection Certificate/ Consent to Establish form State Pollution Control Board only.
- No Objection Certificate / Consent to Establish to white category industries should not be provided by department of Industries in non-confirming zone as per the master plan of the concerned development authority.
- Electricity connection (LMV-II/VI) should be provided to the industry/unit only in the confirming zone as the per the master plan of concerned development authority.


Regional Officer,
U.P Pollution Control
Board, Agra


Chief Town Planner
Agra Development Authority,
Agra


ADM(E)
Agra

उपपक्ष/ जिलाधिकारी महोदय

सूचना पत्रावली में दाहिनी ओर सम्मुख संलग्न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा 03/05/2020 सं०-386/2022 (अजय तिवारी बनाम स्टेट आफ मरबल) में पारित आदेश दिनांक 28.08.2023 का अवलोकन करने का कथन करें।

उपरोक्तनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण जनपद-आगरा में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत बोधला-विद्युती रोड पर अजातीय कालोनिजों के निरूद्ध अर्द्ध स्तर से संचालित मार्बल हैन्डीक्रेफ्ट इकाईयों द्वारा कैंपेय जा रहे वायु प्रदूषण से वहीं के निवासियों को जो रही स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या की रोकथाम के सम्बन्ध में है, जिसमें जाहिकतकारों की अजय तिवारी निवासी-डी-सरिता घाग अर्द्ध रोड (बोधला-विद्युती रोड), शाना-शाहगंज, आगरा के द्वारा मा० अधिकरण में दिनांक 31.03.2022 को शिकायती पत्र प्रेषित किया गया था। जिसमें मा० अधिकरण के द्वारा दिनांक 06.07.2022 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये थे:-

".....In view of the serious averments made in the application, we are of the view that the factual position needs to be verified and remedial action is required to be taken on the basis thereof by the concerned Statutory 2 Authorities. We accordingly constitute Joint Committee of CPCB, State PCB, and District Magistrate, Agra and direct the same to verify the factual position, look into the grievances of the applicant and take remedial action in accordance with law by following due process within one month from the date of receipt of a copy of this order. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance.

3. Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF, before the L.d. Registrar General, National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi who may, if necessary, put up the matter before the Bench for further directions."

संलग्न में उचित कमेटी द्वारा आख्या मा० अधिकरण में दिनांक 07.12.2023 को प्रस्तुत की गयी। मा० अधिकरण द्वारा दिनांक 28.08.2023 को प्रकरण में सुनवाई करते हुये निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं।

6. Notices be issued to Agra Development Authority, UPPCB and District Magistrate, Agra requiring them to file Status Report within two months, at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF, along with the list of the concerned units involved in alleged industrial activities of making fancy items from Marble so that opportunity of being heard may also be granted to the concerned units by this Tribunal, if so considered necessary before passing further order in this regard.

7. List for further consideration on 03.11.2023.

अवगत करना है कि पूर्व में मा० अधिकरण द्वारा दिनांक 06.07.2022 को पारित आदेश में जिलाधिकारी महोदय द्वारा फिली मजिस्ट्रेट को नामित किया गया था।

उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में स्टेटस रिपोर्ट मा० अधिकरण में प्रस्तुत की जाली है। उक्त को दृष्टिगत आगरा विकास प्राधिकरण/ जिलाधिकारी महोदय की ओर से फिली अधिकारी को नामित किया जाना है ताकि मा० अधिकरण के उक्त आदेशानुपालन में स्टेटस रिपोर्ट दिनांक 30.10.2023 तक मा० अधिकरण को प्रस्तुत की जा सके।

28/10/23
(डी० विरवन्ध शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

CTE नामित

Adm C नामित

उपपक्ष
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा।


10/10/23
जिलाधिकारी
आगरा।

28/10/23
26


मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0), नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-386/2022 अजय तिवारी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 06.07.2022 को पारित आदेश के क्रम में निरीक्षण आस्था—

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0), नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-386/2022 (अजय तिवारी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0) में दिनांक 20.08.2023 को पारित आदेश के क्रम में नगला अख्खे, बोदला-बिचपुरी रोड, आगरा के आवासीय क्षेत्र में संचालित स्टोन इकाईयों का संयुक्त निरीक्षण मै0दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा दिनांक 13.10.2023 को किया गया। निरीक्षण आस्था निम्नकत है—

1. मै0आर0एस0 डिजायन, गुजंन विहार, बोदला-बिचपुरी रोड, आगरा-निरीक्षण के समय इकाई पूर्णतः बन्द पायी गयी। आस्था के निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्थल पर कार्य कई माह पूर्व से बन्द कर दिया गया है।



2. मै0रुद्रहैण्डी काफ्ट, गुजंन विहार, अख्खे नगला, बोदला, बिचपुरी रोड, आगरा-निरीक्षण के समय इकाई पूर्णतः बन्द पायी गयी।



03

3. मैद फेरी इन्टरनेशनल, 101 नीलम एन्क्लेव, अक्खे नगला, बोदला, बिचपुरी रोड, आगरा- निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि के रूप में संचालक श्री रोहित गोयल उपस्थित थे। निरीक्षण के समय मात्र ऑफिस कार्य किया जाता पाया गया।



4. मै0गीतम सिंह, स्टोन कटिंग, अक्खे नगला, (तुलसीपुरम) बोदला, बिचपुरी रोड, आगरा- निरीक्षण के समय इकाई का बाहरी गेट बंद पाया गया किन्तु प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि इकाई संचालित है।



5. मै0पवन चौधरी, स्टोन, अक्खे का नगला, गुजंन विहार, बोदला बिचपुरी रोड, आगरा- निरीक्षण के समय इकाई संचालित नहीं पायी गयी किन्तु प्लाण्ट मशीनरी, फिनिश मेटेरियल एवं रॉ मेटेरियल परिसर में रखा हुआ पाया गया।




3

6. मै0विकास स्टोन, नीलम एन्वलेव, अक्खे नगला, बोदला, बिचपुरी रोड, आगरा-निरीक्षण के समय इकाई पूर्णतः बन्द पायी गयी। आसपास के निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि चूका स्थल पर कार्य पूर्व कई माह से बन्द कर दिया गया है।

53




7. मै0सत्येन्द्र (पूर्व संचालक नाम-धर्मवीर), स्टोन, अक्खे का नगला, (तुलसीपुरम) बोदला, बिचपुरी रोड, आगरा-निरीक्षण के समय इकाई का बाहरी गेट बंद पाया गया किन्तु प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि इकाई संचालित है।



(Handwritten signature)

8. मै०कृष्ण कुमार बघेल, स्टोन इकाई, अक्खे नगला, बोदला, बिचपुरी रोड, आगरा-निरीक्षण के समय इकाई संचालित नहीं पायी गयी। इकाई को आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा दिनांक 04.10.2023 को सील किया गया है।



9. मै०राजीव शर्मा (पूर्व संचालक नाम-विपनेश त्वागी), स्टोन इकाई, अक्खे नगला, बोदला, बिचपुरी रोड, आगरा-निरीक्षण के समय इकाई पूर्णतः बन्द पायी गयी।



Handwritten signature or mark.

10. मै0नोबल एक्सपोर्ट इण्डिया, नियर मन्नूर नैस सर्विस, अक्खे नगला, आगरा-पूर्व में दिनांक 06.07.2022 को किये गये निरीक्षण के समय इकाई में कन्स्ट्रक्शन का कार्य होता पाया गया था। वर्तमान में दिनांक 13.10.2023 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के समय इकाई पूर्णतः बन्द पायी गयी। इकाई संचालक श्री निरतिन द्वारा दूरनाप पर अवगत कराया गया कि इकाई के निर्माण के बाद कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया गया है।

55



तत्काल में संचालित इकाईयों का किस्त संयोजन विच्छेदित किये जाने के सम्बन्ध में मै0दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

Handwritten signature

अवर अभियंता,
आगरा विकास
प्रधिकरण, आगरा।

Handwritten signature

सहायक अभियंता,
आगरा विकास
प्रधिकरण, आगरा।

Handwritten signature

अनुश्रवण सहायक,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड, आगरा।

Handwritten signature
16/10/23

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड, आगरा।

Handwritten signature

मुख्य नगर नियोजक,
आगरा विकास
प्रधिकरण, आगरा।



क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सं० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा

Email: roagra@uppcb.in

पत्रांक - 1660 /ओजी-680 /2023

दिनांक-17/10/2023

56

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०,
आगरा।

विषय:- अवैध रूप से आवासीय क्षेत्र में संचालित स्टोन/सेलम इकाईयों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-386/2022 (अजय तिवारी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी०) में पारित आदेश दिनांक 28.08.2023 के अनुक्रम आगरा विकास प्राधिकरण एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 03.10.2023 को नगला अक्खे, बोदला बिचपुरी रोड, आगरा में अवैध रूप से आवासीय क्षेत्र में संचालित स्टोन/सेलम इकाईयों का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के समय निम्न इकाईयों संचालित पायी गयीं।

1. मै० सत्यवीर स्टोन, अक्खे का नगला, बोदला बिचपुरी रोड, आगरा।
2. मै० गीतम सिंह, स्टोन कटिंग, अक्खे का नगला, (तुलसीपुरम), बोदला बिचपुरी रोड, आगरा।
3. मै० पवन चौधरी, स्टोन, अक्खे का नगला, गुजान विहार, बोदला बिचपुरी रोड, आगरा।
4. मै० सत्येन्द्र (पूर्व संचालक नाम-धर्मवीर), स्टोन, अक्खे का नगला, बोदला बिचपुरी रोड, आगरा।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि उक्त चिन्हित अवैध इकाईयों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही/विद्युत विच्छेदन किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे मा० अधिकरण में अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जा सके। अवगत कराना है कि प्रकरण में अगली तिथि 03.11.2023 नियत है।

भवदीय

(डा० विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि-

1. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को सूचनाार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (द्वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनाार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी



कार्यालय
उपखण्ड अधिकारी (प्रथम)
विद्युत वितरण उपखण्ड (प्रथम)
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०
साईट-सी, शिकन्दरा, आगरा।

A-4

पत्रांक संख्या 5406

वि०वि०उ०ख०(प्र०)/आ०

दिनांक 26/10/2023

57

विषय :- अवैध रूप से आवासीय क्षेत्र में संचालित स्टोन/सेलम ईकाइयो के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

अधिकासी अभियन्ता,
वि०वि०उ०ख०-द्वितीय,
कमला नगर, आगरा।

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय पत्रांक संख्या 9838, 9639, 9641 एवं 9642 दिनांक 20.10.2023 के अनुपालन में निम्नलिखित कार्यवाही की गई।

1. मै० पवन चौधरी स्टोन अक्खे का नगला मुन्जन विहार बोदला बिचपुरी रोड आगरा।
कृत कार्यवाही :- संयोजन को दिनांक 26.10.2023 को पोल से कटवाया गया।
2. मै० गीतम सिंह स्टोन कटिंग अक्खे का नगला (तुलसी पुरम) बोदला बिचपुरी रोड आगरा।
कृत कार्यवाही :- संयोजन को दिनांक 26.10.2023 को जाने पर पोल से कटवाया गया।
3. मै० सत्येन्द्र (पूर्व संचालक नाम धर्मवीर अक्खे का नगला बोदला बिचपुरी रोड आगरा।
कृत कार्यवाही :- संयोजन को दिनांक 26.10.2023 को चैक किये जाने पर विद्युत बकाये पर कटा हुआ पाया गया।
4. मै० सत्यवीर स्टोन अक्खे का नगला बोदला बिचपुरी रोड आगरा।
कृत कार्यवाही :- उपरोक्त का मीटर पी०डी०सी० हेतु पूर्व में उतारा जा चुका है एवं वर्तमान में विद्युत का प्रयोग नहीं हो रहा है।

अतः उपरोक्त सूचना आपके समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न- संयोजनों के अस्थाई विच्छेदन के सूचना प्रपत्र।


(शशिकान्त सिंह)
उपखण्ड अधिकारी

पत्रांक..... वि०वि०उ०ख०(प्र०)/आ० दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, विद्युत वितरण मण्डल-प्रथम, कमला नगर, आगरा।


(शशिकान्त सिंह)
उपखण्ड अधिकारी



कार्यालय
अधिशारी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

42812
58

आपूर्ति के अस्थाई विच्छेदन के पश्चात् उपभोक्ता को सूचना

श्री पवन चौधरी (उपभोक्ता का नाम) दिनांक 26/10/23
पूरा पता राजपूत विद्या भवन समय.....
आगरा

संदर्भ : संयोजन सं० 4226856000 उपभोक्ता श्रेणी UV-II संविदाकृत भार 01-50
मीटर सं० 1998380 मीटर रीडिंग 2606-144
354-100


आपको यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कारणों से आपकी उपरोक्त संदर्भित आपूर्ति अस्थाई रूप से दिनांक 26/10/23 से विच्छेदित कर दी गई है।

- विच्छेदन का कारण : पैकीय अस्थायी प्रयोग के कारण
- विच्छेदन का प्रकार : कार्यालय अधिशारी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड II कनका नगर
आगरा के पोलोम-प638 दिनांक 20/10/23 के अद्युपादन में व्ययोजन कार्य गलत

आपसे अनुरोध किया जाता है कि विच्छेदन किये जाने के कारण को दूर करें और इस कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित करें। आपसे अनुरोध है कि विच्छेदन और पुनः कनेक्शन किये जाने के शुल्क हेतु कुल..... रुपये की धनराशि का भुगतान करें।

यदि विच्छेदन के कारण को इस कार्यालय की संतुष्टि के अनुसार दूर नहीं किया जायेगा तो आपकी आपूर्ति स्थायी रूप से अनुच्छेद 4.37 के अनुसार विच्छेदित कर दी जायेगी। विलम्ब भुगतान अधिभार अनुच्छेद 6.13 के अनुसार उद्गृहीत किया जायेगा।

उपरोक्त विच्छेदन का कारण दूर किये बिना यदि आपके संयोजन की आपूर्ति चालू पाई गयी तो आपके विरुद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 च 138 यी में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार प्राथमिकी थाने में दर्ज करा दी जावेगी।

धन्यवाद।
उपभोक्ता के हस्ताक्षर 
अनुज्ञापितधारी के प्रतिनिधि का नाम, हस्ताक्षर (मोहर) 



कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

42810
59

आपूर्ति के अस्थाई विच्छेदन के पश्चात् उपभोक्ता को सूचना

श्री श्री राज चौधरी (उपभोक्ता का नाम)
पूरा पता गुज्जरा बिट्टा बोरुन अमरा

दिनांक 26/10/23
समय.....

संदर्भ : संयोजन सं० 4366246000 उपभोक्ता श्रेणी LM-6 संचिदाकृत भार 20-151

मीटर सं० 8851476 मीटर रीडिंग 38486-1004
पाई-3-25AH
81-93-16

आपको यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कारणों से आपको उपरोक्त संदर्भित आपूर्ति अस्थाई रूप से दिनांक 26/10/23 से विच्छेदित कर दी गई है।

1. विच्छेदन का कारण : दोस्त अहिमारी शैलीय नार्कम 30.9. पुदुपण बियरुण
के अमरा के मायनयूक पावरीक साब्त 1666/05/880/2023/11/102
विच्छेदन का प्रकार : स्वमे कार्यलय अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड
अमरा वगळ आगव के पातक 4638-दिनांक 20/10/23 के अउपातक से

आपसे अनुरोध किया जाता है कि विच्छेदन किये जाने के कारण को दूर करें और इस कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित करें। आपसे अनुरोध है कि विच्छेदन और पुनः कनेक्शन किये जाने के शुल्क हेतु कुल संयोजन कार्य भार पर धनराशि का भुगतान करें।

यदि विच्छेदन के कारण को इस कार्यालय की संतुष्टि के अनुसार दूर नहीं किया जायेगा तो आपकी आपूर्ति शायी रूप से अनुच्छेद 4.37 के अनुसार विच्छेदित कर दी जायेगी। विलम्ब भुगतान अधिभार अनुच्छेद 6.13 के अनुसार गृहीत किया जायेगा।

उपरोक्त विच्छेदन का कारण दूर किये बिना यदि आपके संयोजन की आपूर्ति चालू पाई गयी आपके विरुद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व 138 वीं में उल्लेखित घधान के अनुसार प्राथिमिकी थाने में दर्ज करा दी जावेगी।

धन्यवाद।
परमेश्वर
उपभोक्ता के हस्ताक्षर

[Signature]
अनुज्ञापिधारी के प्रतिनिधि का नाम, हस्ताक्षर (मोहर)



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि.
विद्युत वितरण खण्ड

संलग्नक-4.9

61

आपूर्ति के अस्थाई विच्छेदन के पश्चात उपभोक्ता को सूचना

क्रम संख्या :

40051

दिनांक 20/10/2023

नाम उपभोक्ता - श्री

श्री सत्येन्द्र प्रसन्न संचालक नाथ धर्मवीर

समय

पता

स्टोन उम्मेव का नाला बोदला सिव्हापुरा

संदर्भ :

संयोजन सं. 0.0001/113/7781/1 उपभोक्ता श्रेणी Luv-1 सविदाकृत भार 0.4100

दिनांक

आपको यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कारणों से आपकी उपरोक्त संदर्भित आपूर्ति अस्थाई रूप से
को मीटर रीडिंग पर विच्छेदित कर दी गई है। मीटर सं. 532131
29564828

विच्छेदन का कारण

अतिम अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय उपरोक्त प्रकरण नियंत्रण
के कारण के कार्यालय प्लान नं. 964/1886/001688/2023

विच्छेदन का प्रकार

1/7/02023 25वम नारायण अधिशासी अभियन्ता सिव्हापुरा
सिव्हापुरा नगर आवास के प्लान नं. 964 दिनांक 20/10/23

आपसे अनुरोध किया जाता है कि विच्छेदन किये जाने के कारण को दूर करे और इस कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित करें। आपसे

के अंतर्गत उपरोक्त संयोजन विच्छेदित किया गया

यह भी अनुरोध है कि बकाया धनराशि रुपये

तथा विच्छेदन और पुनः कनेक्शन किये जाने के शुल्क रु.

सहित कुल रुपये

की धनराशि का भुगतान करें।

यदि विच्छेदन के कारण को इस कार्यालय की संतुष्टि के अनुसार दूर नहीं किया जायेगा तो आपकी आपूर्ति स्थायी रूप से

अनुच्छेद 4.37 के अनुसार विच्छेदित कर दी जायेगी। विलम्ब भुगतान अधिनियम अनुच्छेद 6.33 के अनुसार उद्गृहीत किया जायेगा।

उपरोक्त विच्छेदन का कारण दूर किये बिना यदि आपके संयोजन की आपूर्ति चालू पाई गई तो आपके विरुद्ध

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व 138 बी में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार प्राथमिकी (FIR) धाने में दर्ज करा

दी जायेगी।

सत्येन्द्र प्रसन्न संचालक नाथ धर्मवीर
उपभोक्ता का हस्ताक्षर

[Signature]

[Signature]

अनुष्ठानिकाधी के प्रतिनिधि का
नाम, हस्ताक्षर व मोहर

उपभोक्ता के हस्ताक्षर



दिनांक 22/07/2020
62

पत्र संख्या 1017/प्रमुख(सहायक/सहायक)/सहायक प्रधान/विद्युत

प्रमुख निदेशक
विद्युत विभाग विभाग लि.
एडिमांसल/मंडलाध्यक्ष/पूर्वअध्यक्ष/परिचालक
अध्यक्ष/सहायक/सहायकी/सेल

प्रमुख निदेशक
सहायक निदेशक
कानपुर

विषय- निदेशा मित्र बोर्डल पर प्रस्ताव होने वाले रेट एवं अरिजिज कौटेगरी के उद्योगों को विद्युत संयोजन निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में आदेशक निदेश।

सारांश/संक्षेप

प्रस्ताव अर्थात् है कि निदेशा मित्र बोर्डल पर औद्योगिक इकाइयों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने हैं एवं आवेदन सम्बन्धी प्रश्न को ऑनलाइन ही अस्पष्ट किए जाते हैं। वर्तमान में विद्युत अनुसंधान निदेशा/वीआरए/एनपीओ दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्युत संयोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन पर को रेट्स बोर्डल पर कर 03 प्रश्नों को अनसोच किए जाने का पट्टिदान है जो कि निम्नवत है -

1. परिवारों को विद्युत निर्गत अधिकार के सम्बन्ध में दस्तावेजी साक्ष्य
2. रेट एवं एरर कोर्स
3. आदेशक को सहकार्य प्रश्न

उपरोक्त को क्रम में यह अवगत करवाना है कि मुख्य सचिव, उद्योग सहायक की अध्यक्षता में दिनांक 02.07.2020 को सम्मान बैठक में सामान्य बैठक में सामान्य सहायक उरिजिज अरिजिज, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न कर्तव्यों के अन्तर्गत परिचालन आदेशों को अनुक्रम में विद्युत निर्गत किया गया है -

उपरोक्त में उद्योग प्रमुख निदेशा बोर्डल से विना सहायक अस्पष्टि प्राप्त किए रेट एवं अरिजिज कौटेगरी को प्रमुखकारी उद्योगों को उद्योगों को विद्युत संयोजन न दिया जाए। उद्योग प्रमुख निदेशा बोर्डल से सहायक अस्पष्टि प्राप्त होने के उपरान्त विद्युत विभाग द्वारा रेट एवं अरिजिज कौटेगरी के उद्योगों को अस्पष्टि विद्युत संयोजन सहायक उद्योगों द्वारा सहायक अस्पष्टि प्राप्त होने के उपरान्त उद्योगों को अस्पष्टि विद्युत संयोजन प्रदान किया जाए।

उपरोक्त निर्णय को अनुक्रम में विद्युत निर्देशा निर्गत किए जा रहे हैं -

1. केंद्रीय प्रमुख निदेशा बोर्डल द्वारा विभिन्न उद्योगों को प्रमुख इन्फेन्स के आधार पर रेट, अरिजिज, वीन एवं एरर कौटेगरी में विभाजित किया गया है। वर्तमान में कुल 89 इन्फेन्स सेक्टर-टाइप को रेट कौटेगरी के अन्तर्गत तथा 104 इन्फेन्स सेक्टर-टाइप को अरिजिज कौटेगरी के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है। जिसकी सूची उद्योग प्रमुख निदेशा बोर्डल के पत्र संख्या जी33335/सी-6/सा-52/आई.ए.ए.-116/2014/2020 दिनांक 29.07.2020 द्वारा उपरोक्त कराई गई है एवं आपके अध्यक्षता में इस पर को रेट्स सजिदा है।
2. रेट एवं अरिजिज इन्फेन्स सेक्टर-टाइप हेतु प्रस्ताव अस्पष्टि विद्युत संयोजन के आवेदनों पर उद्योग प्रमुख निदेशा बोर्डल द्वारा उद्योग की स्थापना संबंधी प्रश्न को विना अस्पष्टि संयोजन निर्गत न किया जाए।
3. रेट एवं अरिजिज इन्फेन्स सेक्टर-टाइप हेतु प्रस्ताव अस्पष्टि विद्युत संयोजन के आवेदनों पर उद्योग प्रमुख निदेशा बोर्डल द्वारा उद्योग की स्थापना संबंधी प्रश्न को विना अस्पष्टि संयोजन निर्गत न किया जाए।
4. रेट एवं अरिजिज इन्फेन्स सेक्टर-टाइप के लिए उद्योग प्रमुख निदेशा बोर्डल द्वारा उद्योग की स्थापना संबंधी प्रश्न तथा सहायक अस्पष्टि प्रश्न की आधारकता वर्तमान में निर्धारित उपरोक्त वर्णित हीन प्रश्नों के अतिरिक्त होगी।
5. इस सम्बन्ध में यह ध्यात है कि अस्पष्टि/अस्पष्टि संयोजन निर्गत करने वाले प्रत्येक अधिकारी उपरोक्त उरिजिज तथा इन्फेन्स सूची को मित्र हेतु संयोजन सम्बन्धी कार्रवाई करे।

6. उपरोक्त कार्यों के आदेशों किंग द्वारा इन निर्देश को पोर्टल पर इम्प्रींट करने के लिए प्रोसेस निर्धारित किया जाएगा तथा जहाँ तक संभव हो सम्भव अवसरों पर इसे विद्यमान बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ की जाएगी।
- आतः उपरोक्त सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त शासन के निर्णय को अनुमोदित/सिद्धि प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों/कार्मिकों को निर्देशित करने का कार्य करें।

63
भवनाथ

(अश्विन् कुमार)
अध्यक्ष

पत्रांक. / मु.अभि.0(उप-ए.क.उ.सी.0)/राज्य प्रशा. / नि.नि.0 तदुद्दिष्टांक
प्रतिरूपि निम्नलिखित को राष्ट्रपति एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित -

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, अवस्थान एवं औद्योगिक विभाग, उद्योग शासन
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उद्योग शासन
3. सचिव, राजिव, उद्योग प्रदर्शन निदेशन बोर्ड, लखनऊ
4. अधिष्ठाता निदेशक, प्रशासन कर्म, लखनऊ
5. अतिरिक्त अभियन्ता, आर्किटेक्चर, उद्योग/राज्यकार्य, जयिक्त न्याय विभाग, लखनऊ

(अश्विन् कुमार)
अध्यक्ष